

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारी:- जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या:- 166/2018/अपील

जय प्रकाश पुत्र स्व० मंगलचन्द जाति बलाई निवासी पोसानी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला
सीकर

अपीलान्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 06.09.2018 मु.न. 201/2018 अनुवानी
सरकार बनाम जयप्रकाश द्वारा न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़

वकील अपीलांत श्री महेश कुमार जांगिड़

निर्णय

दिनांक:-30.09.2019

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार हैं कि अपीलान्त के पैतृक कब्जे हक अधिकार स्वामित्व का एक पट्टा शुदा भूखण्ड ग्राम पोसानी में अवस्थित है। जिसकी सनद पट्टा संख्या 62 दिनांक 10.04.1985 को राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निशुल्क आवासीय भूमि का आवंटन पत्र ग्राम पंचायत खींवासर आवंटन अधिकारी के रूप में अपीलान्त लघु कृषक थे व उनके पास आबादी क्षेत्र में निवास हेतु कोई भूमि या मकान नहीं होने पर ख०नं० 22/1 पुराने में से एक भूखण्ड आवंटित किया गया था जिसे पट्टा संख्या 62 की पुश्त पर लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त भूखण्ड अपीलांत के पिता के हक में जारी पट्टा शुदा भूखण्ड का उपयोग उपभोग बहैसियत स्वामी के रूप में करता चला आ रहा है। अपीलान्त से राजनैतिक वैमनस्यता रखने वाले कुछ लोगों द्वारा पटवारी हल्का को झुठी शिकायत की गई, जिसके आधार पर पत्रावली संख्या 201/18 कायम कर अपीलान्त को बेदखल करने की आज्ञा दिनांक 06.09.2018 को पारित कर दी गई। अपीलान्त अनुसूचित जाति के लघु कृषक व्यक्ति हैं। जिनके पास ग्राम आबादी पोसानी में आवास हेतु कोई भूखण्ड एवं मकान नहीं होने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रमिक एवं कारीगरो को निशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन की राज्य सरकार की योजना के तहत एक भूखण्ड निशुल्क आवंटित किया गया था। उक्त आवंटन के तहत दिनांक 10.04.1988 को अपीलान्त के पिता द्वारा मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। तथा उक्त भूखण्ड में कच्चे छान-छपर, झुंपा बना कर सपरिवार आबाद हो गये। तथा उसी वर्ष पक्का बना लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने आबादी भूमि एवं चारागाह भूमि का विधिवत सीमाज्ञान किये बिना अपीलान्त का मकान चारागाह भूमि में मान कर ग्राम पंचायत को चारागाह का पट्टा दिये जाने का क्षेत्राधिकार नहीं मानकर ख०नं० 630 रकबा 0.01 है० से बेदखल करने का विधि विरुद्ध आदेश पारित कर दिया। अपीलान्त के पिता को वित्तादित भूखण्ड का पट्टा संख्या 62

कदीम से अस्तित्व मे रही है। ग्राम पंचायत पोसानी द्वारा सिवायचक भूमि में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को निवास हेतु भूखण्ड आवंटन राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के संदर्भ में किया था। आवंटित भूमि पर अपीलान्त द्वारा पुख्ता मकान बना कर बिजली पानी का कनेक्शन लिया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की भूमि को चारसगाह भूमि मानता है तो उसे आबादी भूमि एवं चारागाह भूमि का विधिवत सीमांकन करवा कर विनिश्चय करना चाहिये था एवं अपीलान्त तथा प्रभावित व्यक्तियों को साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर देकर प्रकरण का निर्णय करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय पट्टाधीन भूमि को ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार मे ना मानकर बेदखली का आदेश पारित करने मे भारी कानूनी भूल की है। उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 06.09.2018 निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर प्रकरण संख्या 201/18 में तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा दिनांक 06.09.2018 को पारित आदेश निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता अपीलांत की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांत स्वयं उपस्थित आया एवं उक्त नोटिस के सम्बंध में जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत जवाब को रिकार्ड पर लिया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांत द्वारा ग्राम पोसानी के खसरा नम्बर 630 रकबा 15.40 है० किस्म चारागाह में से 0.01 है० पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांत द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांत का कोई अतिक्रमण नहीं है। चारागाह भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलांत को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः चारागाह भूमि पर पक्का निर्माण कर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 06.09.2018 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)

अति० जिला कलक्टर, सीकर